में दिनांक 15-6-2022 का अभियुक्त ईश्वर सिंह के जमानत मुचलके जप्त ईश्वर सिंह सरकार किये जाने व धारा 446 द0प्र0सं0 की कार्यवाही खोले जाने के आदेशाधीन यह पत्रावली खोली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर मुतफरीक फौजदारी किया जावें।

गैर सायलान की ओर से जवाब अंतर्गत धारा 446 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जवाब संतोषप्रद नहीं किंतु प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गैर सायल अभियुक्त ईश्वर सिंह के मुचलके एवं ~~उनके जामिन~~ के जमानतनामा की राशि में से रूपये 500/- (अक्षरे रूपये पांच सौ मात्र) जप्त सरकार किये जाकर शेष राशि माफ की जाती है। जमानत के दिनांक से पूर्ण राशि माफ की जाती है।

जप्ती राशि रूपये 500/2 जमा करवाये गये जो जरिये रसीद संख्या 68803/81 दिनांक 01-8-22 द्वारा जमा किये गये। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

विशिष्ट न्यायाधीश
अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र.)
प्रतापगढ़ 312805 (राज.)

Scanned by PDF Scanner